

154



नवीन प्रकरण- 4347/2016
न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर
केम्प उज्जैन जिला उज्जैन (म.प्र.)

प्र.क्र.- /2016 निगरानी

R-4347-PB216

गणपत पिता गज्जा जी जाति माली आयु
लगभग 75 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी
जयसिंहपुरा उज्जैन (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

1. आनंदीबाई पति बेनीराम माली निवासी
जयसिंहपुरा उज्जैन,
2. विद्याबाई पति स्व. मनोहरसिंह
3. अमित पिता स्व. मनोहरसिंह,
4. दिपेश पिता स्व. मनोहरसिंह
5. श्रीमती सपना पति विजय पुत्री स्व.
मनोहरसिंह निवासी ग्राम बडोदिया तह. व
जिला-इंदौर (म.प्र.)
6. केसरसिंह पिता पदमसिंह आयु 50 वर्ष
व्यवसाय नौकरी
7. राजेश पिता पदमसिंह आयु 43 वर्ष
निवासीगण जी-14/बी ज्योतिनगर उज्जैन
8. अशोक पिता पदमसिंह आयु 36 वर्ष
व्यवसाय नौकरी निवासी वाटरवर्क्स कालोनी
उज्जैन।

— प्रत्यर्थागण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. नू-राजस्व संहिता।

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक
281/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 से असंतुष्ट
होकर प्रस्तुत

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण याचिका सादर प्रस्तुत
है:-

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

1. यह कि, अधीनस्थ तहसीलदार महोदय उज्जैन द्वारा प्रार्थी को
कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 09.07.2012 का जारी कर यह आरोपित किया
गया था कि आवेदक द्वारा कस्बा उज्जैन की शासकीय भूमि सर्वे क्र. 3370/1

निरंतर.....2

Smit

159

101

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक- निगरानी/4377/पीबीआर/2016

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 30-8-19 | <p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 20/04/2018 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रुचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरुचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p>(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p> | |